

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:— सुनील कुमार पीपलीवाल आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 133/2021

दायर दिनांक: 23.07.2021

## उनवान

1. दिनेश कुमार आयु 35 वर्ष पुत्र नन्दकिशोर जाति धाकड़ निवासी बमोरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादी

## बनाम

1. ओमप्रकाश आयु 48 वर्ष पुत्र नन्दकिशोर जाति धाकड़ निवासी बमोरी
2. पानाचन्द आयु 46 वर्ष पुत्र नन्दकिशोर जाति धाकड़ निवासी बमोरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
3. भानुप्रताप आयु 12 वर्ष पुत्र कस्तूरचन्द नाबालिग जय्ये वली माता नवल बाई
4. ज्योति आयु 10 वर्ष पुत्री कस्तूरचन्द नाबालिग जय्ये वली माता नवल बाई
5. रवीना आयु 14 वर्ष पुत्री कस्तूरचन्द नाबालिग जय्ये वली माता नवल बाई पत्नि स्व० कस्तूरचन्द जाति धाकड़ निवासीगण बमोरी
6. नवल बाई आयु 35 वर्ष पत्नि स्व० कस्तूरचन्द जाति धाकड़ निवासी बमोरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
7. मोहनी बाई आयु 44 वर्ष पुत्री नन्दकिशोर पत्नि धनराज जाति धाकड़ निवासी कड़िया (बपावर के पास) तहसील सांगोद जिला कोटा (राज०)
8. सत्यनारायण आयु 50 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति धाकड़ निवासी बमोरी
9. हेमराज आयु 45 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति धाकड़ निवासी बमोरी
10. कान्ती बाई आयु 70 वर्ष पत्नि स्व० हीरालाल जाति धाकड़ निवासी बमोरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
11. राजस्थान सरकार जय्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज०)।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 183, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :-

वादीगण :-विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन

प्रतिवादी :- विद्वान अभिभाषक श्री विनोद प्रताप सिंह प्रति० क्रम 1 व 2

### निर्णय

दिनांक: 29.10.2025

वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 53, 183, 188 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि आराजी ग्राम एवं माल अन्ताना के खाता संख्या 386 के ख०न० 1241/772 का रकबा 2.25 है० व ख०न० 1242/355 का रकबा 0.11 है० कुल किता 2 का रकबा 2.36 है० भूमि का निर्णय दिनांक 20.04.2023 से प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार अटरू राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मौके पर कब्जे काश्त (दर्ज हिस्से से अधिक नहीं) अनुसार स्वयं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों के अनुसार विभाजन प्रस्ताव मय खसरा नक्शा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर चाहा गया था। उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार अटरू द्वारा में तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/राजस्व/2025/3192 दिनांक 08.10.2025 से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया जिससे अभिभाषकगण सहमत है।

अतः निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.2023 के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विवादित आराजी ग्राम एवं माल अन्ताना के खाता संख्या 386 के ख०न० 1241/772 का रकबा 2.25 है० व ख०न० 1242/355 का रकबा 0.11 है० कुल किता 2 का रकबा 2.36 है० भूमि का मुताबिक प्राथमिक डिक्री निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है:-

खाता संख्या 386/1

क्र०सं०	नाम काश्तकार	ख०न०	रकबा	किस्म	लगान
1	दिनेश पुत्र नन्दकिशोर जाति धाकड सा. बमोरी हिस्सा पूर्ण	1241/772	0.15 है०	चाही 1- 0.11 जाव 1- 0.04	4.07 0.72
2		1242/355	0.0073 है०	माल-1	0.0876
कुल किता 2			0.1573 है०	-	4.8776

खाता संख्या 386/2

क्र०सं०	नाम काश्तकार	ख०न०	रकबा	किस्म	लगान
1	पानाचन्द पुत्र नन्दकिशोर हिस्सा 9440/22027	1241/772	2.10 है०	चाही 1- 1.53 जाव 1- 0.57	56.61 10.26
2	ओमप्रकाश पुत्र नन्दकिशोर मोहनी बाई पुत्री नन्दकिशोर हिस्सा 3147/22027	1242/355	0.1027 है०	माल-1	1.2324

भानू पुत्र कस्तूरचन्द ना.बा. रविना, ना.बा. ज्योति पुत्रियां कस्तूरचन्द नवल बाई पत्नी स्व. कस्तूरचन्द हिस्सा 1573/22027 हिरालाल पुत्र मोतीलाल हिस्सा 7867/22027 जाति धाकड निवासी बमोरी हिस्सा पूर्ण				
कुल किता 2		2.2027 है0	—	72.98

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां

फाइनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई  
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री सुनील कुमार पीपलीवाल (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

प्रकरण सं0 133/2021

दायर दिनांक: 23.07.2021

उनवान

1. दिनेश कुमार आयु 35 वर्ष पुत्र नन्दकिशोर जाति धाकड़ निवासी बमोरी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश आयु 48 वर्ष पुत्र नन्दकिशोर जाति धाकड़ निवासी बमोरी
2. पानाचन्द आयु 46 वर्ष पुत्र नन्दकिशोर जाति धाकड़ निवासी बमोरी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
3. भानुप्रताप आयु 12 वर्ष पुत्र कस्तूरचन्द नाबालिग जयें वली माता नवल बाई
4. ज्योति आयु 10 वर्ष पुत्री कस्तूरचन्द नाबालिग जयें वली माता नवल बाई
5. रवीना आयु 14 वर्ष पुत्री कस्तूरचन्द नाबालिग जयें वली माता नवल बाई पत्नि स्व० कस्तूरचन्द जाति धाकड़ निवासीगण बमोरी
6. नवल बाई आयु 35 वर्ष पत्नि स्व० कस्तूरचन्द जाति धाकड़ निवासी बमोरी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
7. मोहनी बाई आयु 44 वर्ष पुत्री नन्दकिशोर पत्नि धनराज जाति धाकड़ निवासी कड़िया (बपावर के पास) तहसील सांगोद जिला कोटा (राज0)
8. सत्यनारायण आयु 50 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति धाकड़ निवासी बमोरी
9. हेमराज आयु 45 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति धाकड़ निवासी बमोरी
10. कान्ती बाई आयु 70 वर्ष पत्नि स्व० हीरालाल जाति धाकड़ निवासी बमोरी तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
11. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 183, 188 आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रुबरू.....X.....

बहाजिर :-

वादीगण :-विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन

प्रतिवादी :- विद्वान अभिभाषक श्री विनोद प्रताप सिंह प्रति० क्रम 1 व 2

मिनजानित मुदई रुबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। निर्णय व डिक्री दिनांक 20.04.2023 के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विवादित आराजी ग्राम एवं माल अन्ताना के खाता संख्या 386 के ख०न० 1241/772 का रकबा 2.25 है० व ख०न० 1242/355 का रकबा 0.11 है० कुल कित्ता 2 का रकबा 2.36 है० भूमि का मुताबिक प्राथमिक डिक्री निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है:-

खाता संख्या 386 / 1

क्र०सं०	नाम काश्तकार	ख०नं०	रकबा	किस्म	लगान
1	दिनेश पुत्र नन्दकिशोर जाति धाकड सा. बमोरी हिस्सा पूर्ण	1241 / 772	0.15 है०	चाही 1- 0.11 जाव 1- 0.04	4.07 0.72
2		1242 / 355	0.0073 है०	माल-1	0.0876
कुल किता 2			0.1573 है०	-	4.8776

खाता संख्या 386 / 2

क्र०सं०	नाम काश्तकार	ख०नं०	रकबा	किस्म	
1	पानाचन्द पुत्र नन्दकिशोर हिस्सा 9440 / 22027	1241 / 772	2.10 है०	चाही 1- 1.53 जाव 1- 0.57	56.61 10.26
2	ओमप्रकाश पुत्र नन्दकिशोर मोहनी बाई पुत्री नन्दकिशोर हिस्सा 3147 / 22027 भानू पुत्र कस्तूरचन्द ना.बा. रविना, ना.बा. ज्योति पुत्रियां कस्तूरचन्द नवल बाई पत्नी स्व. कस्तूरचन्द हिस्सा 1573 / 22027 हिरालाल पुत्र मोतीलाल हिस्सा 7867 / 22027 जाति धाकड निवासी बमोरी हिस्सा पूर्ण	1242 / 355	0.1027 है०	माल-1	1.2324
कुल किता 2			2.2027 है०	-	72.98

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

उपखण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज०)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....

.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 29.10.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज०)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत०
महन्ताना वकील	मुत०	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज०)